<u>**2018 का विधेयक सं. 7**</u>

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2010 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 24 का संशोधन.- राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 13) की धारा 24 की उप-धारा (2) के हिंदी पाठ में विद्यमान अभिव्यक्ति "विद्या परिषद्" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्" प्रतिस्थापित की जायेगी और सदैव प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 13) की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंग्रेजी और हिंदी पाठ के अंतर को दूर करने के लिए उक्त अधिनियम के हिंदी पाठ में धारा 24 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "विद्या परिषद्" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्" प्रतिस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

प्रभु लाल सैनी

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

24. कुलपति.- (1) विश्वविद्यालय का एक कुलपति होगा जिसकी नियुक्ति उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विचयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पशुपालन और पशु विज्ञान में विख्यात शिक्षाशास्त्रियों के पैनल में से राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और ऐसे पैनल में उक्त समिति के किसी भी सदस्य का नाम अंतर्विष्ट नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए विचयन समिति में चार व्यक्ति होंगे जिनमें एक व्यक्ति कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा, एक व्यक्ति बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा, एक व्यक्ति विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा और एक व्यक्ति सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा:

परन्तु कुलाधिपति द्वारा इन सदस्यों में से एक सदस्य को संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया जायेगा और विचयन समिति के समस्त सदस्यों के पास भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) में यथा उपबंधित आधारभूत पशुचिकित्सा अर्हता होनी चाहिए:

परन्तु यह और कि इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी के सदस्य नहीं होंगे।

(3) से (14) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 7 of 2018

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 13 of 2010.- In Hindi version of sub-section (2) of section 24 of the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010 (Act No. 13 of 2010), for the existing expression ^^fo|k ifj"kn~**, the expression ^^Hkkjrh; i'kq&fpfdRlk ifj"kn~** shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to remove the discrepancy in English and Hindi versions of sub-section (2) of section 24 of the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010 (Act No. 13 of 2010) it is proposed that the existing expression ^^fo|k ifj"kn~** in sub-section (2) of section 24 in the Hindi version of the said Act be substituted by the expression ^^Hkkjrh; i'kq&fpfdRlk ifj"kn~**.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

प्रभु लाल सैनी
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES ACT, 2010
(ACT NO. 13 OF 2010)

XX XX XX XX XX XX

24.TheVice-Chancellor.-(1) There shall be a Vice-Chancellor of the University who shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from a panel of eminent educationists in veterinary and animal sciences recommended by the Search Committee referred to in sub-section (2) and such panel shall not contain the name of any member of the said Committee.

(2) For the purpose of sub-section (1), the Search Committee shall consist of four persons of whom one shall be nominated by the Chancellor, one shall be nominated by the Board, one shall be nominated by the Veterinary Council of India and one shall be nominated by the Government:

Provided that one of these members shall be nominated by the Chancellor to act as convener and all the members of the Search Committee must have basic veterinary qualification as provided in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984):

Provided further that the persons so nominated shall not be a member of any of the authorities of the University.

(3) to (14) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

2018 का विधेयक सं. 7

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(प्रभु लाल सैनी, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 7 of 2018

THE RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Act, 2010.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,

Secretary.

(Prabhu Lal Saini, **Minister-Incharge**)